राजस्व वाद 273A/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
मनीराम बनाम् हड़मान वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 273A/2021

वादीगण–
1. मनीराम पुत्र हड़मान
जाति–जाट निवासीगण–जायल, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. हड़मान पुत्र धन्नाराम
2. रामकिशोर पुत्र हड़मान
3. मदनलाल पुत्र हड़मान
4. शारदा पुत्री हड़मान
जातियान–जाट निवासीगण–जायल, तहसील–जायल।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 01/12/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल ग्राम तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1574 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2065 में वाद के पैरा संख्या 2 के (क से ड़) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी मनीराम व प्रतिवदी संख्या 2, 3 रामकिशोर , मदनलाल के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 हैक्टेयर में से 0.0587 हैक्टेंयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान व प्रतिवादी संख्या 4 शारदा के सामलाती हक बंट कब्जा

01/12/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1574 रकबा 0.0243 हैक्टेयर रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने दिनांक 01.12.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत जायल में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मनीराम पुत्र हड़मान , हड़मान पुत्र धनाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 2389 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 01.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 1878 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के मध्य नजरीनक्शानुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 2 एवं इस्तदुआ एवं राजीनामा अनुसार चाही गई है तथा खसरा नंबर 1574 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान एवं प्रतिवादी संख्या 4 शारदा के हक बंट में चाही गई है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगणों ने किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से बंटवाड़े की इच्छा जाहिर की है। अतः मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1574, 1878 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान पुत्र धन्नाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1574, 1878 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान पुत्र धन्नाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी मनीराम व प्रतिवदी संख्या 2, 3 रामकिशोर , मदनलाल के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 हैक्टेयर में से 0.0587 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान व प्रतिवादी संख्या 4 शारदा के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1574 रकबा 0.0243 हैक्टेयर रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 2731/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
मनीराम बनाम् हड़मान वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 2731/2021

वादीगण–
1. मनीराम पुत्र हड़मान
जाति–जाट निवासीगण–जायल, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. हड़मान पुत्र धन्नाराम
2. रामकिशोर पुत्र हड़मान
3. मदनलाल पुत्र हड़मान
4. शारदा पुत्री हड़मान
जातियान–जाट निवासीगण–जायल, तहसील–जायल।
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–
1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1574, 1878 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान पुत्र धन्नाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 मदनलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 में से रकबा 1.4238 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. वादी मनीराम व प्रतिवदी संख्या 2, 3 रामकिशोर , मदनलाल के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 1878 रकबा 4.3301 हैक्टेयर में से 0.0587 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

5. प्रतिवादी संख्या 1 हड़मान व प्रतिवादी संख्या 4 शारदा के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1574 रकबा 0.0243 हैक्टेयर रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

01/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 01/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज					
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

01/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner